

फर्द अहकाम

यनाम कौरव

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
राजस्व घाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

157/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

क्रम
संख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी एवं प्रति-
वादी सं. 23, 24, 25, 29 व 30 उपस्थित
वकीलवादी को प्रति. सं. 22, 26, 27,
28, 31 के सही पते के शि. नोटिस
पेश करने की दिशा में जाकर
पत्रावली वास्ते प्रति. सं. 23, 24, 25,
29, 30 के जवाब एवं श्लेष की
हेतु तलबी हेतु दिनांक 31/12/24
को पेश हो।

3/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स/
कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं
की जा सकी। पत्रावली दिनांक... 21/12/24
को पेश हो।

12/12/24


पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स/
कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं
की जा सकी। पत्रावली दिनांक... 21/12/25
को पेश हो।

16/12/24

प्राची इस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल
तलबी का स्वीकार किया जाकर पत्रावली
आज तलब की गई। प्राची अलालतन
वकालतन उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र
वाक्य विज्ञे करनी वादपत्र का पेश कर
प्रकरण को विज्ञे कर खासिज करवाने
हेतु निवेदन किया। प्राची ने कांटेरिक
पर अंगुठा बिशाषी किया जिसकी पहचान
वादी के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार
हु।

L.T.P. कौरव

Id by



15/12/2024

(दिनेश कुमार 21/12/24)

फर्द अहकाम

दहीदूराम बनाम कमलेश

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 157/2023

विशेष विवर

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|-------------|---------------------------|----------------------|
|-------------|---------------------------|----------------------|

शर्मा द्वारा की गयी प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बाबत विद्वां करने वादपत्र पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर सुनने के उपरान्त यह पाते हैं कि प्रार्थी का कथन है कि पत्रकारों के मध्य आपसी समझौते से राजीनामा दे गया है और अपने प्रकरण को विद्वां कर खारिज करवाना चाहता है इसलिये न्यायाधीश को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत विद्वां करने वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद विद्वां की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र वादविद्वां स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैलल सुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम है।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण